

# कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक : 19745

दिनांक : 21/10/22

## निविदा-सूचना

नगर निगम की ओर से निगम में फोटोकॉपी कार्य/आपूर्ति वार्षिक दर संविदा के आधार पर करने हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो इच्छुक सप्लायर्स निविदा में हिस्सा लेना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पोर्टल से डाउनलोड कर अपनी निविदाएं सीलबंद लिफाफे में मय रु 500/- निविदा शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट (आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम), वित्तीय प्रस्ताव व शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति के निगम कार्यालय के कमरा नं. 216 में निर्धारित अंतिम दिनांक को दोपहर 3.00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएं उसी दिनांक को सायंकाल 04.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। राजकीय अवकाश होने पर निविदाएं अगले कार्य दिवस को प्राप्त की व खोली जाएगी।

क्रसं.	सामान/कार्य	अनुमानित राशि रु.	धरोहर राशि रु.	निविदा प्राप्त करने की अंतिम दिनांक व समय
01	निगम में फोटोकॉपी कार्य निविदा में वर्णित विवरण अनुसार	400000	8000	28/10/2022 3.00 PM.

शर्त :- 01. निविदा एक वर्ष तक या नई निविदा तक मान्य रहेगी। 02. दर्शायी गयी अनुमानित मात्रा से कम या अधिक कार्य करवाने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगी। 03. इस निविदा को निगम की website [www.jodhpurmc.org](http://www.jodhpurmc.org), [SPPP.rajasthan.gov.in](http://SPPP.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।

आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

दिनांक :- 21/10/22

क्रमांक : 19746 to 19750

प्रतिलिपि :-

01. संपादक ..... को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा आगामी अंक में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावे।
02. अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
03. लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
04. आई.टी सेल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
05. मैसर्स इलीट मंत्रा, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा निगम की वेबसाईट पर डालकर सूचित करें।

आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

## निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. निविदा खोलने की दिनांक को किसी कारणवश यदि निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
2. निविदा एक वर्ष तक या नई निविदा तक मान्य रहेगी।
3. दर्शायी गयी अनुमानित लागत से कम या अधिक क्रय करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगी।
4. निविदा संबंधित कार्य में निर्धारित व्यवहार करने वाली फर्म ही प्रस्तुत करे जिसका घोषणा पत्र देना होगा।
5. इस निविदा को निगम की website [www.jodhpurmc.org](http://www.jodhpurmc.org), [www.spppp.rajasthan.gov.in](http://www.spppp.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय के लेखा शाखा कमरा नं. 216 में निर्धारित समय से पूर्व जमा करवाना आवश्यक है। इनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	500/-	डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	8000/-	डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण

7. निविदादाता निविदा शुल्क, धरोहर राशि के डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति लिफाफे में प्रस्तुत करेंगे जिस पर निविदा सूचना क्रमांक, निविदादाता का नाम, पता एवं मोबाइल नं. अंकित होने आवश्यक है।
8. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने आवश्यक है।
9. प्रदत्त करें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
11. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवानिवृत्त के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवारत लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
12. निविदा में निविदादाताओं से अंतर राशि परफोरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृति निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।
13. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकारी निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
14. समस्त निविदा कार्य पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 लागू होंगे।

## कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

### फोटो कॉपी कार्य निविदा की शर्तें वर्ष 2022

01. फोटो कॉपी कार्य निगम भवन व मुख्यालय में करना होगा। निगम द्वारा स्थल की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी।
02. निगम के शिविरों आदि में आदेशानुसार फोटोकॉपी मशीन मय कार्मिक स्थापित कर कार्य करना होगा।
03. फोटो स्टेट मशीन व सम्बन्धित उपकरणों पर आने वाले विद्युत खर्च की प्रचलित दर पर संवेदक को भुगतान करना होगा। विद्युत व्यय को संवेदक के बिल में समायोजित किया जायेगा।
04. निविदादाता को निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
05. सरकारी विभाग में एक वर्ष का फोटो कॉपी कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र।
06. फोटो कॉपी निगम अधिकारियों के निर्देशानुसार व निगम की आवश्यकतानुसार करना होगा। आवश्यकता होने पर राजकीय अवकाश एवं कार्यालय समय के समाप्त होने पश्चात् भी कार्य करना होगा।
07. कार्य उच्चगुणवता का होना चाहिए।
08. निविदा के साथ फोटो स्टेट कार्य हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले पेपर का नमूना सलंग्न करना होगा समस्त कार्य स्वीकृत पेपर पर करना होगा। पेपर संवेदक का होगा।
09. फोटो कॉपी मशीन के रख-रखाव इंक, ऑपरेटर आदि सामान की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। समस्त उपकरणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संवेदक की होगी किसी प्रकार की क्षति, खराबी के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगी।
10. निर्देशानुसार फोटो कॉपी कार्य नहीं करने पर सही व सुपटित कॉपी नहीं करने पर या कार्य समय पर नहीं करने पर शास्ति लगायी जाएगी। शास्ति का निर्धारण आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
11. निगम कार्यालय में केवल निगम का कार्य ही किया जाएगा। बाहरी कार्य करने पर समुचित दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
12. मशीन खराब होने पर संवेदक द्वारा तुरन्त ठीक करवायी जाएगी। रिपेयरिंग में समय अधिक लगना प्रतीत हो तो दुसरी मशीन की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी। इस दौरान आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जिससे निगम का कार्य बाधित नहीं हो।
13. किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
14. समस्त वाद का न्याय क्षेत्र जोधपुर रहेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

## नगर निगम जोधपुर उत्तर

### वित्तीय प्रस्ताव

क्रसं.	आईटम / सामग्री	प्रस्तुत दर(प्रतिकॉपी)
01	A/4 Size copy	अंको में शब्दों में
02	A/3Size copy	अंको में शब्दों में
03	File Size copy	अंको में शब्दों में
04	Color Photo Copy	अंको में शब्दों में

दरों में जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) के अतिरिक्त सभी टैक्स सम्मिलित होंगे। जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

## जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

निविदादाता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जानी अनिवार्य है:-

1. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति।
2. बोलीदाता/संवेदक के आयकर (पैन नम्बर) कार्ड की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति।
3. निविदा की धरोहर राशि, निविदा शुल्क का किसी अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की मूल प्रति।
4. निविदा/बोली की समस्त निबन्धनों एवं शर्तों (Details of Bidder's Terms & Conditions) की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति।
5. अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियाँ (यदि हो तो)।

## -:निविदा/बोली व अनुबन्ध की शर्तें एवं विनियमन:-

निविदादाता/संवेदक को निविदा/बोली में अपनी दरें प्रस्तुत करने से पूर्व इन शर्तों को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करने से पूर्व आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।

1. एक वर्ष की निर्धारित सीमा में आदेशित संख्या के अनुसार आपूर्ति नहीं करने पर संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य संवेदक से कार्य करवाकर लेखा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर दक्षिण का निर्णय दोनों पक्षों का मान्य रहेगा।
3. जिसका टेण्डर मन्जूर किया जायेगा उसे सप्लाई आदेश देने की दिनांक से कार्य तीन दिन में शुरू करना होगा। कार्य स्वीकृत दर पर निगम की आवश्यकता अनुसार करना होगा और कार्य सन्तोषजनक न होने पर अनुबंध के किसी भी समय समाप्त करने का निगम को अधिकार होगा।
4. टेण्डर के साथ धरोहर राशि रूपये 500/-, निविदा शुल्क रूपये 8000/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में पेश करना आवश्यक है इनके बिना दिया गया टेण्डर मान्य नहीं होगा। राशि चैक द्वारा मान्य नहीं होगी।
5. सफल टेण्डर दाता को वांछित फार्म में अनुबंध-पत्र उचित स्टाम्प पेपर भर कर देना होगा और कार्य को पूरा करने के लिये अमानत राशि कुल 2.5 प्रतिशत नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे जो कार्य को सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण होने के दो माह बाद वापिस लौटा दिये जावेंगे। इकरारनामा भर कर दिये गये समय पर पेश न करने पर शर्तों का भंग होना माना जायेगा और धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी, निर्धारित शर्तों को भंग करने अथवा कान्ट्रैक्ट को सन्तोषजनक ढंग से परिपूर्ण न करने की दिशा में जमा अमानत राशि पूरी अथवा अंश में जब्त कर ली जावेगी। जिसमें क्रय अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
6. सप्लायर द्वारा दिये गये समय में वस्तु की सप्लाई न करने की दशा में नगर निगम द्वारा बिना कोई नोटिस दिये, सप्लायर की रिस्क पर वस्तु की सप्लाई स्रोत से कर ली जाये और आदेश निरस्त किया जावेगा। जिससे होने वाला नुकसान (damages) सप्लायर से उसके किसी भी क्लेम से जो नगर निगम से देय होगा, वसूल किया जा सकेगा। उसके बिल अथवा कोई अन्य देय राशि से वसूली न होने पर उसे कानूनी कार्यवाही द्वारा वसूल की जा सकेगी। ऐसी रिस्क परचेज में नगर निगम खरीददारी अपने विवेकानुसार करेगी। ऐसे सारे मामले जहां सप्लाई न करने से सप्लाई आदेश निरस्त किये जाने की सूरत में कान्ट्रैक्ट का भंग होना माना जावेगा और निगम ऐसी सूरत में उसी अनुसार कार्यवाही करेगी।
7. नगर निगम को किसी टेण्डर की दर को मन्जूर करने या नामंजूर करने का बिना कोई कारण बताये पूरा अधिकार होगा और माल पूरा या अंश रूप में लेने का अधिकार होगा।
8. किसी भी विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाही हेतु न्याय क्षेत्र जोधपुर शहर में होगा।
9. उपरोक्त टेण्डर की शर्तों के अलावा सप्लायर द्वारा टेण्डर में लगाई गई अन्य शर्तें सशर्त निविदा अमान्य होगी और टेण्डर अस्वीकार किया जावेगा।
10. निविदा/बोली, निविदा/बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से निविदा बोली के साथ निर्धारित निविदा/बोली शुल्क का मूल डी.डी./बैंकर चैक, धरोहर राशि का मूल डी.डी./बैंकर चैक तथा अन्य वांछित मूल दस्तावेजों के आवश्यक प्रपत्र

संलग्न कर उसे आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण को निर्धारित तिथि व समय से पूर्व तक कार्यालय में जमा/प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा/बोली पर विचार नहीं किया जाएगा एवं स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

11. प्राप्त निविदाओं को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित बोलीदाता /संवेदक अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। निर्धारित समय में कोई बोलीदाता/संवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को निविदा/बोली उसी समय पर खोली जायेगी।
12. जी एस टी के अतिरिक्त सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी।
13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. बोलीदाता/संवेदक बिन्दु निविदा/बोली के अन्त में प्रत्येक पृष्ठ/वांछित कॉलम/ स्थान पर समस्त निबन्धन एवं शर्तों (Term & Conditions) को स्वीकार करने के प्रमाणन के रूप में नियमानुसार अपने हस्ताक्षर/डिजीटल हस्ताक्षर करेगा।
15. बोलीदाता/संवेदक अपनी निविदा/बोली या उसके किसी सारभूत भाग को ना तो किसी एंजेसी को सौंप सकेगा ना ही किसी को आगे निविदा/बोली पर दे सकेगा।
16. बोलीदाता/प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार ही अनर्हता (Disqualification) होगी।
17. निविदा/बोली किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं। निविदा/बोली स्वीकृत के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबन्ध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जबतक इस अनुबन्ध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करे तबतक फर्म में कोई साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा। निविदादाता कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा/बोली भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृती निविदा/बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
18. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये और दरें अंको के साथ-साथ शब्दों में भी आवश्यक रूप से लिखी जानी चाहिए।
19. दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। संविदा का समय संवेदक एवं विभाग की आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
20. **बोलीयो की विधि मान्यता की कालावधि :-** बोली लगाने वालो के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।
21. **बोली अमानत/प्रतिभूति राशि :-**
  1. दर संविदा के मामले में बोली अमानत/प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2.5 प्रतिशत होगी।
  2. बोली प्रतिभूति बैंकर्स चैक या मांगदेय ड्राफ्ट (डी.डी.) या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपनिधान में बैंक गारंटी के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधि मान्यता की कालाविधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।

3. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय, सफल बोली की अन्तिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।
  4. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
22. **बोली प्रतिभूति का समपहृत :-**
1. बोली लगाने वाले से ली गई प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, करता है
    - (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
    - (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
    - (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
    - (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
    - (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
  2. सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
23. बोली स्वीकृत अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक सेवाप्रदाता से अधिक को सेवा की मदों को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
24. बिल एवं बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबन्धित फर्म या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर अनुबन्धित फर्म या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।
25. यदि अनुबन्धित फर्म के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें नगर निगम जोधपुर दक्षिण प्रशासन को भी पक्षकार बनाया है तो संबंधित न्यायालय में एडवोकेट, जवाब दावा पेश करने में नगर निगम जोधपुर दक्षिण पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार अनुबन्धित फर्म से वसूल किया जावेगा।
26. अनुबन्ध समाप्ति के समय निगम प्रशासन द्वारा अनुबन्धित फर्म से मांगे गये आवश्यक समस्त दस्तावेज/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारन्टी लौटाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
27. अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं करने या अनुबन्धित फर्म का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर पूर्ण प्रतिभूति राशि को जप्त करने का पूर्ण अथवा आंशिक अधिकार आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण का होगा।
28. कार्यालय/ट्रेजरी से किसी भी कारण से देरी से बिल पास होने पर देरी से भुगतान प्राप्त होने पर अनुबन्धित फर्म किसी भी प्रकार का क्लेम, निगम प्रशासन से नहीं करेगा।

29. परिसमापित नुकसानी :- परिसमापित नुकसानी के साथ कार्य अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर कार्य आपूर्ति के लिए की जायेगी जिनका बोलीदाता/संवेदक प्रदाय करने में असफल रहा है :-
- (क) विहित कार्य अवधि की एक चौथाई अवधि तक विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत  
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए 5 प्रतिशत  
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत  
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
- सेवा प्रदान करने में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
1. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
30. निविदादाता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहाँ उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
31. यदि संवेदक कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदादाता को कोई सूचना दिये बिना इसकी जोखिम पर आपूर्ति सम्पन्न कराई जावेगी। निविदादाता इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्च एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकार के हर्जे-खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय अधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।
32. अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत निविदादाता से जो भी वसूली बनती है तो ऐसी वसूली निविदादाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरन्त कर ली जावेगी तथा प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है तो बैंक गारंटी से तुरन्त राशि वसूल कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमार्ग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।
33. निविदादाता को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता/संवेदक के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।
34. विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण का निर्णय अंतिम होगा व बोलीदाता/संवेदक को मान्य होगा।
35. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पड़े तो दोनों पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेटर के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो संबंधित जिला न्यायालयों में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं होगी अर्थात् समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर स्थित न्यायालय होगा।
36. बोलियों का प्रत्याहरण प्रतिस्थापन और उपान्तरण :- बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/लिखित नोटिस भेजकर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस-
- (क) बोली दर्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन", "उपान्तरण" अंकित हो और (ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के

लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

(1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वाले को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

37. (2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियां की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

38. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार:- बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी:- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई हैं। ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा। (ख) यदि योग के घटकों के जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गई हैं तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा। (ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

39. राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना :- उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए राजस्थान की फर्मों द्वारा कोट की गयी दरों से जी.एस.टी. का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों की से केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जावेगा।

40. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :- उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

41. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार :- (1) संविदा के अधिनिर्णय के समय बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रति शत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होगी:-

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत

42. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन:- सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गई है तथापि जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले जिसकी बोली स्वीकार की गई है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या किसी कम में और भी बोली लगाने वालों के बीच उस बोली लगाने वाले की दरों पर जिसकी बोली स्वीकार की गई है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यपूर्ण शैली से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति प्रस्ताव बातचीत के समान होगी। तथापि परिमाणों के विभाजन की दशा में जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2) तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गई दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

43. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :- सफल बोली लगाने वालों से कार्य निष्पादन प्रतिभूति को रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामलों में प्रदाय आदेश की रकम की 2.5 प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:-

1. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते में उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद (एफडीआर) का मांग पर ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।
3. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से सम्बन्धित अन्य शर्त बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होगी।
4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी वाध्याताओं और रख-रखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं को पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।
5. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा

44. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

- (1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (2) जब बोलीदाता/संवेदक सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

45. करार का निष्पादन :-

- (1) सफल बोली लगाने वाले को निविदा/बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।
- (2) यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर संकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेजों में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति प्रस्ताव दे सकेगी।

46. सत्यनिष्ठा संहिता :- उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाल कोई भी व्यक्ति,

- (1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रवर्तित रहने के लिए गुमराज करता हो या गुमराज करने का प्रयास करता हो।
- (3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरमिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगी।
- (4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गई किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सन्मति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगी।
- (6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (7) हित का विरोध यदि कोई हो प्रकट करेगा।
- (8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी भी विवर्जन को प्रकट करेगा।

बोलीदाता/ संवेदक के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदाता/संवेदक का नाम.....

पता.....

मोबाईल नम्बर.....